



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3022]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2016/पौष 2, 1938

No. 3022]

NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 23, 2016/PAUSA 2, 1938

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

का. आ. 4132(अ)—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् हिन्दु, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (जिसे इस आदेश में "आवेदक" कहा गया है) से संबंधित किसी व्यक्ति की बाबत नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अधीन किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए या धारा 6 के अधीन देशीयकरण प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए प्रयोक्तव्य शक्तियों का निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा—

(क) निम्न जिलों के संबंध में कलक्टर, जिसकी अधिकारिता के भीतर आवेदक मूल रूप से निवासी है—

- (i) छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर
- (ii) गुजरात राज्य में अहमदाबाद, गांधीनगर तथा कच्छ;
- (iii) मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल तथा इंदौर;
- (iv) महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, मुम्बई, पुणे तथा ठाणे;
- (v) राजस्थान राज्य में जोधपुर, जैसलमेर तथा जयपुर;
- (vi) उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ; और
- (vii) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पश्चिमी दिल्ली तथा दक्षिणी दिल्ली; और

(ख) खंड (क) के अधीन न आने वाले जिलों के संबंध में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, यथास्थिति, गृह विभाग का सचिव, जिसकी अधिकारिता के भीतर आवेदक मूल रूप से निवासी है।

नागरिकता नियम, 2009 जिसे (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

- (क) उक्त नियमों के अधीन आवेदक द्वारा भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण या भारत के नागरिक के रूप में देशीयकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा;
- (ख) आवेदक का सत्यापन, यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर साथ-साथ किया जाएगा तथा आवेदन एवं उससे संबंधित रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी;
- (ग) आवेदक की उपयुक्तता के अभिनिश्चयन के लिए, यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव जैसा आवश्यक समझे वैसी जांच करा सकता है तथा उस प्रयोजन के लिए उस आवेदन को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अधीन अपेक्षित सत्यापन के लिए तथा जैसा अपेक्षित हो, टीका-टिप्पणियों के लिए इस प्रकार की एजेंसियों को ऑनलाइन अग्रेषित करेगा।
- (घ) खंड (ग) में उल्लिखित एजेंसियों की टीका-टिप्पणियों को ऐसी एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं तथा इन्हें, यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव, या केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराए जाने हैं;
- (ङ.) यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव द्वारा आवेदक की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण अथवा देशीयकरण प्रमाणपत्र जारी करके उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी तथा उक्त नियमों में यथाविहित प्रारूप में, यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अथवा देशीयकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा; और
- (च) उक्त नियमों के अनुसरण में कलक्टर अथवा सचिव द्वारा एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें भारत के नागरिक के रूप में इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत अथवा देशीयकृत व्यक्तियों का ब्यौरा होगा तथा उस रजिस्टर की एक प्रति ऐसे रजिस्ट्रीकरण अथवा देशीयकरण के सात दिन की अवधि के भीतर केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।
2. इस आदेश में निर्दिष्ट व्यक्तियों की बाबत भारत की नागरिकता के लिए सभी आवेदनों को जो केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से ठीक पहले, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा कलक्टर या सचिव को अंतरित किया जाएगा।
3. यह आदेश राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 26030/266/2014-आई सी-II (का.आ.)]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
ORDER**

New Delhi, the 23rd December, 2016

**S.O. 4132(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby directs that powers exercisable by it, for registration as a citizen of India under section 5 or for grant of certificate of naturalisation under section 6 of the Citizenship Act, 1955, in respect of any person belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians (herein this Order referred to as “the applicant”), residing in the States of Chhattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh and Union territory of Delhi, shall also be exercisable by—

(a) the Collector, within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident, in relation to the districts of—

- (i) Raipur in the State of Chhattisgarh;
- (ii) Ahmedabad, Gandhinagar and Kutch in the State of Gujarat;
- (iii) Bhopal and Indore in the State of Madhya Pradesh;
- (iv) Nagpur, Mumbai, Pune and Thane in the State of Maharashtra;
- (v) Jodhpur, Jaisalmer and Jaipur in the State of Rajasthan;
- (vi) Lucknow in the State of Uttar Pradesh; and
- (vii) West Delhi and South Delhi in the Union territory of Delhi; and

(b) the Secretary of the Department of Home of the State or the Union territory, as the case may be, within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident, in relation to districts not covered under clause (a),

in accordance with the provisions of the Citizenship Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), subject to the following conditions, namely:—

(A) the application for registration as citizen of India or grant of certificate of naturalisation as citizen of India under the said rules is made by the applicant online;

(B) the verification of the application is done simultaneously by the Collector or the Secretary, as the case may be, at the district level and the State level and the application and the reports thereon shall be made accessible simultaneously to the Central Government;

(C) the Collector or the Secretary, as the case may be, makes such inquiry as he considers necessary for ascertaining the suitability of the applicant and for that purpose forward the application online to such agencies for verification and comments as may be required under the instructions issued by the Central Government in this regard;

(D) the comments of the agencies referred to in clause (C) are uploaded online by such agencies and accessible to the Collector or the Secretary, as the case may be, and the Central Government;

(E) the Collector or the Secretary, as the case may be, on being satisfied with the suitability of the applicant, grant him the citizenship of India by registration or naturalisation and issue a certificate of registration or naturalisation, as the case may be, signed by the Collector or the Secretary, as the case may be, in the Form as prescribed in the said rules; and

(F) the Collector and the Secretary shall maintain a register, in accordance with the said rules, containing the details of persons so registered or naturalised as a citizen of India and furnish a copy thereof to the Central Government within seven days of such registration or naturalisation.

2. All applications for citizenship of India in respect of persons referred to in this Order, which is pending before the Central Government immediately before the publication of this Order in the Official Gazette, shall be transferred by the Central Government to the Collector or the Secretary, as the case may be.

3. This Order shall be in force for a period of two years from the date of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. 26030/266/2014-IC-II (S.O.)]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.